खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 से खनिजों, को हटाया जाना

2241. **श्री गोविन्दराम मिरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अतंगमरत किन-किन खनिजों को हटाए जाने का प्रस्ताव हैं,

(ख) इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राय सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा इनकी संख्या कितनी हैं, और

(घ) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री नवीन पटनायक) : (क) से (घ) राज्य सरकारें और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में से खनिजों को हटाने की मांग समय-समय पर करती रही हैं। इन खनिजों के पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार का पूव्र अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता हैं। विभिन्न राज्य सरकारों के खान और भू-विज्ञान मंत्रियों/सचिवों के 1 दिसम्बर, 1996 में हुए सम्मेलन के परिणामस्वरूप सचिव (खान) की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में एक समिति गठित की गई। प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य सरकारों के सचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ के महासचिव, भारतीय खान ब्यूरों के महानियंत्रक आदि इस समिति के सदस्य हैं। समिति को खनिजो कें विनियमन और विकास संबंधी मौजूदा कानूनों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी थी। समिति को अनेक राज्य सरकारों से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की सम्पूर्ण अनुसूची 1 या उसके भाग ग को हटाने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। समिति ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं तथा इस पर अपेक्षित कार्रवाई शुरू की जा चुकी हैं।

Scheme for the Development of Mining Workers

2242. SHRI RAHASBIHARI BARIK:
SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether Government have introduced any schemes for the development and welfare of mining workers;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether these schemes are providing full assistance to them; and

(d) if not, the steps taken by Government for the improvement of the schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI RAMESH BAIS): (a) and (b) Under the Mines and Mineral (Regulation! & Development) Act, 1957 and the Rules framed thereunder, the infor-mation related to the welfare schemes for workers engaged in exploration/exploitation in mines is not required to be furnished to the Indian Bureau of Mines, a Subordinate Office of Department of Mines. However, the Ministry of Labour arc administering three welfare funds for certain categories of non-coal mines workers The funds arc utilised to implement welfare schemes for provoiding medical, educational, rc-creational, housing and water supply facilities to the workers engaged in Mica Mines, Limestone and Dolomite Mines, Iron Ore, Manganese Ore and Chrome Ore Mines. List of the welfare schemes is attached as Statement. *(See below)*

(c) and (d) All the eligible workers arc entitled to and avail of benefits prescribed under the various welfare schemes meant for them formulation under the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946; Limestone and Dolomite Labour Welfare Fund Act, 1972 and Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines & Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1972.